

4.1. बांस का पुष्पनः—

बांस में पुष्पन दो प्रकार का होता है :—

1. छुट-पुट पुष्पन (Sporadic Flowering)
2. सामूहिक पुष्पन (Gregarious Flowering)

4.1.1. छुट-पुट पुष्पनः—

इस प्रकार का पुष्पन क्षेत्र में यत्र-तत्र दूर फैले प्रतिवर्ष देखने में पाया जाता है। इस प्रकार के पुष्पन में केवल कुछ भिरें में ही पुष्पन होता है। पुष्पन पश्चात् भिरा आवश्यक नहीं है कि पूर्ण रूप से सूख जावे। यह भी आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण भिरें में पुष्पन हो। इस प्रकार का पुष्पन अनियमित अंतराल के उपरांत हर दूसरे तीसरे वर्ष पाया जाता है।

4.1.2. सामूहिक पुष्पनः—

यदि किसी कक्ष के 50 प्रतिशत से अधिक भिरें एक साथ पुष्पित हुये हों तथा कक्ष का क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर से कम न हो तो इसे सामूहिक पुष्पन माना जायेगा। इस प्रकार के पुष्पन में बांस वन क्षेत्र के लगभग सभी भिरें पुष्पित होते हैं तथा संपूर्ण भिरा पुष्पित होता है। पुष्पन पश्चात् भिरा सूख जाता है। सामूहिक पुष्पन एक निश्चित् अंतराल के पश्चात् पाया जाता है तथा किसी क्षेत्र में संपूर्ण सामूहिक पुष्पन में 2 से 4 वर्ष का समय लग जाता है।

बांस प्रजाति के प्रत्येक प्राप्ति स्थान (Provenance) के अनुसार बांस पुष्पन का चक्र निश्चित अवधि के बाद आता है तथा यह उस प्राप्ति स्थान के पादप क्रिया चक्र (Physiological cycle) के अनुसार निर्धारित होता है। किसी एक प्रजाति के अलग-अलग स्थानों के लिय अलग-अलग बांस पुष्पन चक्र पाए गए हैं। बांस में पुष्पन अक्टूबर से फरवरी माह में होता है तथा मार्च-अप्रैल में बीज तैयार हो जाते हैं। यह देखने में आया है कि पुष्पित होने वाले भिरों में पुष्पन शुरू होने के पूर्व सामान्यतः उस भिरें में करला नहीं आता है। पुष्पित भिरों में महिला तथा पकिया सभी में पुष्पन होता है। सामान्यतः पुष्पन किसी क्षेत्र विशेष में समूह में होता है तथा उस क्षेत्र में नाले के किनारे के क्षेत्र में पुष्पन पहले देखने में पाया जाता है। सामान्यतः यह भी पाया गया है कि पुष्पन के पूर्व शाखाएँ झाड़ीदार होती हैं तथा उनकी वृद्धि कम हो जाती है, बांस का रंग हल्का होने लगता है तथा पीलापन बढ़ने लगता है तथा उनकी वृद्धि कम हो जाती है, बांस में सफेद या पीले रंग की धारियाँ दिखने लगती हैं। रसायनिक परिवर्तन के रूप में स्टार्च की मात्रा राइजोम में बढ़ जाती है। पुष्पन के पश्चात् कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होने लगती है। पुष्पन के दौरान रिड्सिंग सुगर की मात्रा बढ़ जाती है। सेलूलोज और हेमी सेलूलोज पुष्पन के दौरान कम हो जाता है। लिग्निन की मात्रा पुष्पन पश्चात् 40 प्रतिशत बढ़ी हुई देखी गयी है।

पुष्पन बांस में कटाई के नियमः—

4.2.1. पुष्पित बांस क्षेत्र में अग्नि बचाव एवं चराई नियंत्रणः— कार्य किये गये पातनाशों में वनों को आग से बचाया जायेगा तथा 2 वर्षों तक चराई से प्रतिबंधित रखा जायेगा।

बांस की कटाई सम्पूर्ण कूप में होनी चाहिए। कई बार दुर्गम क्षेत्रों में कम या कोई पातन नहीं होता। इसको नियंत्रण करने के लिए कार्य के बाद राजपत्रित अधिकारी कूप का निरीक्षण करेंगे एवं प्रमाण पत्र देंगे कि कटाई का कार्य पूर्ण क्षेत्र में एवं नियमानुसार हुआ है।

कटाई सेक्षन वार होगी। सेक्षन क्रमांक 1 की कटाई के राजपत्रित अधिकारी के प्रमाण पत्र के पश्चात् ही सेक्षन क्रमांक 2 की कटाई होगी तथा सेक्षन क्रमांक 2 का कटाई प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही सेक्षन क्रमांक 3 की कटाई होगी। यही कार्यवाही सभी सेक्षन की कटाई पर लागू होगी। उक्त प्रमाण पत्र निरीक्षण उपरांत उप वन मण्डलाधिकारी द्वारा जारी किये जाएंगे।

4.2.2. छुटपुट पुष्टन (Sporadic Flowering) कूप के भीतर सभी पुष्टि बांस भिरें जिसमें बीज गिर चुके हो पूर्णपातन किया जावेगा।

4.2.3. सामूहिक पुष्टन:- यदि किसी कक्ष में 50 प्रतिशत से अधिक भिरे एक साथ पुष्टि हों तथा कक्ष का क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर से कम न हो तो इसे सामूहिक माना जायेगा। सामूहिक पुष्टन में कार्य करने के लिए समक्ष अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जाना चाहिए। सामूहिक पुष्टन की स्थिति में सभी पुष्टि भिरे जिनके बीज झड़ गये हों का निःशेष पातन किया जाएगा। उक्त पातन श्रेणी में कार्य आयोजना में प्रस्तावित कूप का विदोहन निलम्बित हो जायेगा। ऐसे बांस के विदोहन की शीघ्र व्यवस्था की जाएगी। जिससे इनकी गुणवत्ता के ह्वास एवं अग्नि जोखिम को कम किया जा सके।

4.2.4. जानवरों हेतु अथवा अन्य कार्य हेतु बांस की छटाई (Lopping) पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।

डॉ. पी. बी. गंगोपाध्याय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश, भोपाल